उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 76/2025/1115 /छप्पन-2025-46/2002
लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2025

सामाजिक समाघात निर्धारण के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्र में, ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के परामर्श से निम्नलिखित भूमियां, लोकप्रयोजनार्थ अर्जित करना चाहती है और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित करना चाहती है। उक्त अध्ययन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

- **अपेक्षक निकाय का नाम-** नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का प्रयोजन**- जिला लखीमपुर खीरी स्थित हवाई अड्डा पलिया के विस्तारीकरण हेतु।
- **अध्ययनकर्ता संगठन-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- **संगठन का संपर्क सम्बन्धी विवरण-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (201312)
- **भूमि का विवरण-**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
लखीमपुर खीरी	पलिया	गजरौरा	41.5028
		फुलवरिया	2.1405
		मुजहा	1.2850
कुल			44.9283
सरकारी भूमि पर अवस्थित			कुल 29 घर।

- **प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण-** पलिया स्थित हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से हवाई यातायात सुगम हो जाएगा। जिससे पर्यटन में तीव्र वृद्धि होगी।
- **परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल-** प्रभावित क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया के उपरोक्तानुसार 03 ग्रामों में है तथा इसमें लगभग 44.9283 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है जिसमें 29 घर सरकारी भूमि पर अवस्थित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- **क्या ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित है:** भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 के उपबन्धों के अनुसार।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण होने का दिनांक-** 15 अक्टूबर, 2025

टिप्पणी- विवरण, समस्त कार्य दिवसों में (अर्जन के प्रयोजन हेतु) कलक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

NAGARIK UDDAYAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 76/2025/1115/chhappan-2025-46/2002 Dated August. 12, 2025.

NOTIFICATION

No. 76/2025/1115/chhappan-2025-46/2002

Lucknow: Dated: August. 12, 2025.

PRELIMINARY NOTIFICATION TO CARRY OUT SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat/Municipality/Municipal Corporation, as the case may be, at village/ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall be undertaken as per the provisions of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013).

- Name of Requiring body: Civil Aviation Department, Uttar Pradesh.
- Purpose of proposed acquisition of land: For expansion of Palia Airport located in District Lakhimpur Kheri.
- Organization to undertake the study: Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.
- Contact details of the Organization: Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar (201312).
- Land details:

District	Tehsil	Village	Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4
Lakhimpur Kheri	Palia	Gajraura	41.5028
		Phulwaria	2.1405
		Mujaha	1.2850
Total			**44.9283**
Situated on Government Land			Total 29 houses

- Brief description and benefits to be arrived from the proposed project: Expansion of the airport at Palia will lead to development of infrastructure in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

the area, employment opportunities will increase, manufacturing and exports will be encouraged. In addition the expansion of Airport will facilitate air traffic leading to a rapid growth in tourism.

- The project area and the affected areas: The affected area is in Tehsil Palia of District Lakhimpur Kheri as per above in 03 villages and about 44.9283 hectares of land is involved with 29 houses situated on Government land.
- Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?: According to the provisions of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Uttar Pradesh) Rules, 2016.
- The date of completion of SIA: 15 October, 2025

NOTE- The details can be had from the office of Collector (for the purpose of acquisition) on all working days.

By Order,

Sanjay Prasad
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।